समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
(जिला विकास प्रशाखा)

पत्रांक............................/ दिनांक..............................

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

जिला स्थापना उप समाहर्त्ता,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

विषय :— नवनियुक्त ग्रामीण विकास पदाधिकारी के वेतन भुगतान के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं0—172234 दिनांक—26.12.13 द्वारा नवनियुक्त ग्रामीण विकास पदाधिकारी के वेतन भुगतान हेतु निम्नांकित आदेश पारित किये गये है :—

1. नवनियुक्त ग्रामीण विकास पदाधिकारी का भुगतान गैर योजना बजट शीर्ष—2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—102—सामुदायिक विकास—0001—प्रखण्ड स्थापना (विपत्र कोड—एन. 2515001020001 एवं मांग सं0—42) से किया जायेगा।
2. इनके वेतनादि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिलों के उप विकास आयुक्त होंगे, जो पूर्व से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित है।
3. चूकि इनका वेतनमान—9300—34800 (पे बैण्ड—2)+ग्रेड वेतन—4200 रुपये निर्धारित है, अतः ये अराजपत्रित श्रेणी के कर्मी है, इसलिए इनका वेतन पूर्जा वैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।
4. इनके वेतन भुगतान के लिए प्रथमतः **PRAN NO.** आवंटित किये जायेंगे। इस निमित संबंधित पदाधिकारी अपना खाता बैंक में खुलवाकर **PRAN** संबंधी आवेदन विहित प्रपत्र में संबंधित उप विकास आयुक्त के कार्यालय में जमा करेंगे एवं उप विकास आयुक्त द्वारा प्राप्त आवेदनों को **PRAN NO.** आवंटन हेतु संबंधित प्राधिकार को भेजा जायेगा एवं **PRAN NO.** आवंटित कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. **PRAN NO.** आवंटन के पश्चात संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इनके वेतनादि की निकासी कर इनके खाता में जमा करायी जायेगी।
6. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे इन सारे परिक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी की सेवा पुस्तिका वेतन भुगतान के पूर्व खुलवाना सुनिश्चित करेंगे।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में अनुरोध है कि इस जिले में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित सभी नवनियुक्त ग्रामीण विकास पदाधिकारी से **PRAN NO.** आवंटन हेतु दो प्रति में विहित प्रपत्र में आवेदन—पत्र प्राप्त कर एवं सभी का बैंक खाता खुलवाकर खाता नं0 संबंधी विवरणी शीघ्र भेजने की कृपा की जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

ह0 —

उप विकास आयुक्त,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक.....190...../ दिनांक.....10.2.14.....

प्रतिलिपि :— सभी ग्रामीण विकास पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि **PRAN NO.** आवंटन हेतु दो प्रति में विहित प्रपत्र में आवेदन—पत्र एवं बैंक खाता सं0 जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र भेजवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि वेतनादि भुगतान की कार्रवाई की जा सके।

10/2/14

उप विकास आयुक्त,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।